न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– अंशुल आमेरिया (आर. ए. एस.)
राजस्व वाद संख्या :– 175/2023

1. अनिल कुमार पुत्र देवाराम जाति कोली निवासी नसीराबाद
— — वादी :– जरियें अधिवक्ता श्री सुखदेव चौधरी

बनाम

1. कमल पुत्र टिल्लूमल जाति वालिमिकी नि0 नसीराबाद
2. कौशल्या पुत्री हरजी जाति बैरवा नि0 नसीराबाद
3. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

— — प्रतिवादीगण :– 1 जरियें अधिवक्ता श्रीमती प्रियंका राठौड
2 अनुपस्थित
3 जरियें राज0 पैरोकार

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राज0 काश्त0 अधि0 1955

–: निर्णय :–

दिनॉक :– 3.1.24

अधिवक्ता वादी ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि वादी व प्रतिवादी स. 1 से 2 की सहखातेदारी की आराजी ग्राम बारापत्थर भू अभिलेख निरीक्षक देराठू में स्थित है जिसका विवरण निम्न प्रकार है :–

खाता संख्या	खसरा नम्बर	रकबा
379/287	1008	0.15
	1015	0.65
	1016	0.18
	किता 3	0.98

उक्त आराजी अविभाजित है जिसमें वादी व प्रतिवादीगण का हिस्सा निहित है। प्रतिवादी स. 1 व 2 बिना किसी कारण वादी से लडाई झगडा करते है। व आराजी मुतनाजा अन्यत्र हस्तांतरण करने में आमादा हैं। अतः वादग्रसत आराजी का विधिवत विभाजन किया जावें एवं प्रतिवादीगण को जरियें स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जो।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी स. 1 ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि आराजी मुतनाजा का विधिवत विभाजन कर दिया जावे। प्रतिवादी संख्या 2 बावजूद तामीली अनुपस्थित रहे। राज0 पैरोकार ने जाहिर किया कि वादीगण अपना वाद स्वयं सिद्व करे।

अधिवक्ता वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ने प्रकरण में साक्ष्य अदि पेश नही कर सीधी बहस करना जाहिर किया। बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्तागण व राज0 पैरोकार की बहस पर मनन किया गया। वादग्रस्त आराजी वादी व प्रतिवादी स. 1 व 2 की

—2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। उक्त आराजी का विभाजन नही हुआ है। विभाजन होने से प्रतिवादीगण के हितों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नही पडेगा। वादी व प्रतिवादी स. 1 प्रत्येक का उक्त आराजी पर 3/7 व प्रतिवादी संख्या 2 का 1/7 हिस्सा दर्ज है। प्रतिवादी संख्या 1 ने प्रकरण में लिखित सहमती पेश की है। प्रतिवादी संख्या 2 प्रकरण में अनुपस्थित रहे है। वादी आराजी मुतनाजा का विभाजन प्राप्त करने का अधिकारी है।

अतः ग्राम बारापतथर भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र देराठू की जमाबंदी स0 2071–74 के खाता स0 379/287खसरा नम्बर 1008/0.15, 1015/0.65 व 1016/0.18 किता 3 रकबा 0.98 की आराजी पर वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्त आराजी पर वादी व प्रतिवादी स. 1 व 2 के मध्य भूमि की किस्म, मूल्य, लगान व हिस्सेनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर इस न्यायालय में पेश करे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की प्राथमिक पर्चा डिकी जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

प्राथमिक डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

अनिल बनाम कमल

दावा बाबत :– 53, 88, 188 राज. का. अधि0 1955

राजस्व मुकदमा नम्बर – 175/2023
पेश करने की दिनांक – 06.10.2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू अंशुल आमेरिया (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक सीताराम रावत मुद्दई राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिकी दी जाती है कि :–

ग्राम बारापत्थर भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र देराठू की जमाबंदी स0 2071–74 के खाता स0 379/287 खसरा नम्बर 1008/0.15, 1015/0.65 व 1016/0.18 किता 3 रकबा 0.98 की आराजी पर वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्त आराजी पर वादी व प्रतिवादी स. 1 व 2 के मध्य भूमि की किस्म, मूल्य, लगान व हिस्सेनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर इस न्यायालय में पेश करे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक———— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 3 माह 1 सन् **2023** को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत मेहनताना वकील फीस कमिश्नर खर्चा गवाहान बाबत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी मेहनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक
मिजान	मिजान

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद